01.06.2022 वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। जिला प्रशासन की ओर से श्री राज कुमार गुप्ता, पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान उपस्थित।

आयोग द्वारा श्रीमती मंजू देवी के किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने संबंधी की गई पृच्छा का जवाब उपस्थित प्राधिकृत पदाधिकारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नकारात्मक में दिया गया। पुनः वादी के द्वारा किए गए दावें की श्रीमती मंजू देवी बोर्ड की तीन लगातार बैठकों दिनांक—31.03.2021 के संबंध में तो संतोषजनक जवाब दिया गया, परन्तु दिनांक—05.04.2021 की अध्यक्षता उप मुख्य पार्षद के द्वारा क्यों किया गया, जबकि मुख्य पार्षद वैधानिक रूप से पदासीन थीं तथा इनके द्वारा न तो कोई छुट्‌टी का आवेदन दिया गया था और न ही इनकी कार्य में अक्षमता सिद्ध थी, के संबंध में न तो वादी के विद्वान अधिवक्ता और न ही जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक वैधानिक जवाब दिया जा सका।

आयोग द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता को इस संबंध में ठोस साक्ष्य एवं वैधानिक नियमों के साथ अनुरोध करने का आदेश दिया गया तथा उनके द्वारा उक्त साक्ष्य एवं वैधानिक नियमों के उपलब्ध कराने तक के लिए सुनवाई को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

ह0/—
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
01.06.2022

<u>राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।</u>

ज्ञापांकः—19/2021 2149 **दिनांकः—** 6.6.22

प्रतिलिपिः—जिला पदाधिकारी, सिवान/राज कुमार गुप्ता, पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान/वादी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/06/22
विशेष कार्य पदाधिकारी